(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी विदेशी महिला पर्यटकों के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाएं हुई और ये घटनाएं किन परिस्थितियों में हुई;

(ख) कितनी प्राथमिक सूचना रिपोर्टें (एफ०आई०आर०) दर्ज की गई और उनके निपटान तथा दोषसिद्धि का प्रतिशत क्या है; और

(ग) क्या इस तरह की शर्मनाक घटनाओं के कारण देश का नाम बदनाम होता है और पर्यटकों के आगमन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एन सी आर बी विदेशी पर्यटकों से बलात्कार और यौन शोषण के संबंध में आँकड़े केन्द्रीय रूप में नही रखता है।**

**ये शर्मनाक कृत्य विरले होते हैं और इनका विदेशी पर्यटकों के आगमन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, संघ सरकार देश के किसी भी भाग में ऐसी घटना की कड़ी भर्त्सना करती है।**